MR. SPEAKER : I have not denied the right.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय उस पर कुछ कहते नहीं हैं । अगर वह कुछ कहेंगे तो मैं अड़चन नहीं डालूंगा ।

MR. SPEAKER : You raised three issues on the previous matter. I ask the Minister to reply to you. That is what you want.

SHRI DINESH CHANDRA GOSWAMI (Gauhati) : I rise on a point of order.

SHRI S. M. BANERJEE : According to rules, the hon. Member can speak only from his seat.

MR. SPEAKER : My ruling is that when the Speaker is standing, both of you should sit down.

SHRI K. RAGHU RAMAIAH : I would like to know what his suggestions are.

श्री मधु लिमये : देखिये मंत्री महोदय ने सुना तक नहीं ।

SHRI K. RAGHU RAMAIAH : You had spoken so much and everything gets mixed up. I would like to know your suggestions. I have got before me three suggestions—one is discussion on non-publication of the Tariff Commission Reports and the other is shortage of artificial yarn leading to sky-rocketing of prices and hardship to weavers' families. Rise in price of cotton, food scarcity and lack of drinking water in Birbhum, Rajasthan, Maharashtra, Mysore and other States in the country are your other points, and I have noted them. And whatever suggestions have been made by the hon. Member would certainly be conveyed by me to the Minister concerned and it is for the Minister to decide what action to take in these matters.

MR. SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Twenty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 3rd May, 1973."

The Motion was adopted

12·35 hrs.

DISCUSSION RE: APPOINTMENT OF CHIEF JUSTICE OF INDIA—*Contd.*

MR. SPEAKER : Now we are resuming the discussion on the appointment of the Chief Justice. The time fixed was six hours. Time taken is 3 hours 30 minutes. Balance of time is only 2 hours, 30 minutes. I have with me the allocation of time. According to it, it will be like this :—

Jan Sangh . .	14 minutes.
D.M.K. . .	14 minutes
Congress . .	1 Hour 42 minutes.
U.I.P.G. . .	9 minutes.
Congress (O) .	9 minutes.
Unattached . .	9 minutes.

We can have a little bit of adjustment this side or that side.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA : (Begusarai) : We can as well have no discussion.

MR. SPEAKER : The Minister's time will be taken from out of his own party's time.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, अगर इस पर अधिक लोग बोलना चाहते हैं, और विषय महत्वपूर्ण है, तो आप एक घंटा बढ़ा सकते हैं । मंत्री महोदय सोमवार को जवाब दे सकते हैं ।

MR. SPEAKER : We do not want to continue this on any other day. Now it is 12·30 and we have 3 hours left. But if hon. members want some more time for this discussion, we can take up the private members, business at 4·30 instead of at 3·30 so, we will get one more hour. How much time does the minister want ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE) : 45 minutes.

MR. SPEAKERS : May I make a request to the hon. members on both sides of the House, to listen with full patience, whatever be the criticism either from this side or that side. Sometimes at the end of the debate, members get so tired and lose their patience. For God's sake, let us have a peaceful and calm discussion. Shri Vajpayee.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKERS: I am not allowing anybody else. Shri Vajpayee.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष जी, जब मैं उस दिन श्री मोहन कुमार मंगलम के भाषण को सुन रहा था तो मुझे एक उर्दू का शेर याद आया :—

कपड़ा सड़ा गला हो तो मुमकिन नहीं रफू
सीते थे आस्तीन गरेबान फट गया।
बारे गुनाह वह बस उठे गुनाह से,
धोने से और दामने ईमा चिकट गया।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात की खुशी है कि आप ने भी उर्दू बोली।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरम्भ हुई तब यह कहा गया था कि यह मामला एक मामूली मामला है, सुप्रीम कोर्ट के तीन जजो को ताक पर रख कर एक कनिष्ठ जज को सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर अधिष्ठित कर देना कोई बड़ी बात नही है, देश में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इस सवाल पर इतना समय लेने की आवश्यकता नही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा हुई और उस चर्चा मे श्री मोहन कुमारमगलम ने जिस प्रकार का भाषण दिया उस से यह बात स्पष्ट हो गयी कि यह प्रश्न केवल एक व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाने का नही है, यह प्रश्न केवल तीन वरिष्ठ जजो को उन के अधिकारो से वचित कर देने का भी नही है, यह प्रश्न इस बात का है कि देश में न्यायपालिका की स्वाधीनता रहेगी या नही रहेगी ? इस देश मे लोकतत्र चलेगा या नही चलेगा ?

श्री मोहन कुमार मगलम ने जो भाषण दिया उस भाषण ने विरोधी दलो और संसद के बाहर वकीलो के सघो ने, बुद्धिजीवियो ने, चीफ जस्टिस की नई नियुक्ति पर जो आशंकाये तथा आपत्तिया प्रकट की है उनकी पुष्टि हो गई। तीन वरिष्ठ जजो को हटा कर कनिष्ठ जज को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने से न्यायपालिका की स्वाधीनता और पवित्रता पर जो चोट लगी थी, विधिमंत्री श्री गोखले ने ला कमिशन की सिफारिश का मरहम लगा कर उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मित्र श्री मोहन कुमारमंगलम ने उस घाव पर नमक छिड़क दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया है कि सरकार को कमिटेड जजेज चाहियें। श्री मोहन कुमार मंगलम ने कहा है कि जजों की नियुक्ति में उनकी फिलास्फी और आउटलुक देखा जायेगा। श्री मोहन कुमार मंगलम ने यह भी पूछा है कि

"It is not good that we should have as Chief Justice of India a man who will help to put an end to this period of confrontation?"

जो कन्फ्रंटेशन पिछले छ: साल से चल रहा है, श्री मोहन कुमारमंगलम चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जज बनाया जाय जिसे सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच चलने वाला वह संघर्ष समाप्त हो जाये।

उन्होने एक और बात कही। हमे ऐसे जज चाहियें :

" who can effectively work and help us in the Supreme Court"

सरकार को ऐसे जज चाहिये जो सुप्रीम कोर्ट मे सरकार की मदद कर सके। "सरकार की मदद कर सके" इस का मतलब क्या है ? कई मामला में सरकार पार्टी हुआ करती है। मुझे बतलाया गया है कि 60 प्रतिशत लिटिगेशन ऐसा होता है जिस मे सरकार पार्टी हुआ करती है। व्यक्ति तथा व्यक्ति के बीच मे ही सघर्ष नही होता है, व्यक्ति और सरकार के बीच मे भी सघर्ष होता है। जब व्यक्तिगत स्वाधीनता पर आच आती है, जब मूलभूत अधिकारो का अपहरण किया जाता है, जब सविधान में दी गई व्यक्तिगत गरिमा की गारन्टी की धज्जियां उडाई जाती है, तब व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। क्या देश मे सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए जो जज आज हैं वह सरकार की मदद करने के लिये बिठाये गये है ? जिन की फिलासफी, जिनका आउटलुक सरकार की फिलासफी और सरकार के आउटलुक से मेल खाता है,

क्या वह संविधान की रक्षा कर सकते हैं, क्या वह व्यक्तिगत स्वाधीनता का संरक्षण कर सकते है, या वह मूलभूत अधिकारों को बचा सकते हैं ?

श्री मोहन कुमारमंगलम आज फिलासफी की बात करते हैं । क्या श्री मोहन कुमारमंगलम के आने के पहले इस पार्टी की और इस सरकार की कोई फिलासफी नहीं थी ? क्या फिलासफी श्री मोहन कुमारमंगलम ने पहली बार दी है ? जजों को जिस संविधान का पालन करने की शपथ लेने के लिये कहा जाता है, क्या उस संविधान की कोई फिलासफी नहीं है ? क्या संविधान के निर्माता सब प्रकार के दर्शन से शून्य थे ? क्या संविधान के निर्माता आर्थिक प्रगति नहीं चाहते थे ? क्या वे सामाजिक न्याय के सिद्धान्त से बंधे हुए नहीं थे ?

लेकिन इस के साथ साथ ही वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता से भी बंधे हुए थे । इसी लिये संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे । 65 साल की आयु तक उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा । उन का वेतन कसोलिडेटेड फंड आफ इंडिया में लिया जायेगा संसद उनमें कटौती नहीं कर सकेगी । कोई जज सरकारी आदेश से नहीं हटाया जा सकेगा । संविधान में एक विशेष प्रक्रिया दी हुई है जिस के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देना पड़ेगा जिस पर कार्रवाई कर के किसी जज को हटाया जा सकता है । ये सब प्रावधान जो न्यायपालिका की स्वाधीनता की रक्षा के लिये संविधान में शामिल किये गये हैं, क्या किसी दर्शन के दर्पण नहीं है ? क्या उन के मूल में कोई बुनियादी चिंतन नहीं है ? क्या संविधान के निर्माता यह नहीं चाहते थे कि देश में व्यक्तिगत स्वाधीनता और आर्थिक समता का समन्वय किया जाये, देश आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़े, विषमता घटे, शोषण समाप्त हो ? लेकिन इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्वाधीनता की भी रक्षा हो और उस की रक्षा करने का काम प्रमुख रूप से सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया ।

आज तो कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज ऐसे होने चाहियें जो सरकार की हां में हां मिलायें । श्री मोहन कुमारमंगलम कहते हैं कि छः वर्षों से कफ्रंटेशन हो रहा है । अब वह आशा करते हैं कि कफ्रंटेशन नहीं चलेगा । क्या इस का मतलब यह है कि जो नये चीफ जस्टिस बने हैं, उन से पहले यह चर्चा कर ली गई है कि आप को चीफ जस्टिस इसी शर्त पर बनाया जायेगा । आप अब सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं देंगे? चीफ जस्टिस इस मामले में क्या करेंगे , क्या श्री मोहन कुमारमंगलम ऐसी भविष्यवाणी कर सकते है ? क्या नये चीफ जस्टिस से उन्होंने पहले चर्चा कर के कोई आश्वासन ले लिया है ? कौन सा जज किस समय कैसा निर्णय देगा, इस के बारे में कोई गारण्टी नहीं दी जा सकती ।

मैं चीफ जस्टिस रे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता । वह एक सम्मानित जज हैं, लेकिन जिन तीनों को नाक पर रखने के बाद वह चीफ जस्टिस बने हैं वह भी सम्मानित जज हैं । उन जजों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । मैं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देख रहा था । जस्टिस रे का एक निर्णय मेरे सामने आया है । जस्टिस रे कलकत्ता हाई कोर्ट में जज थे । हरिदास मूंदड़ा का मामला उन के सामने गया । मूंदड़ा तीन साल जेल में रहने के बाद छूटे थे । मूंदड़ा हैगरफोर्ड टर्नर मारिसन ऐंड कम्पनी के सब शेयर लेना चाहते थे । उस समय मूंदड़ा के पास केवल 49 परसेंट शेअर थे । लेकिन हैंगरफोर्ट के साथ उन का समझौता था जिस के अनुसार वह कीमत देकर बाकी के 51 प्रतिशत शेयर भी ले सकते थे । मगर टर्नर मारिसन कम्पनी ने

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

शेअर देने से इन्कार कर दिया । मूंदड़ा कोर्ट में गये । मामला जस्टिस रे ने सुना था । उन्होंने ऐसा फैसला दिया जिस के अनुसार मूंदड़ा को बाकी के 51 फीसदी शेअर लेने के लिये टर्नर मारिसन कम्पनी को 80,60,000 रु० देने की जरूरत ही नहीं थी । बिना कोई रुपया दिये हुए जस्टिस रे ने अपने फैसले से मूंदड़ा को 100 फीसदी शेअर दे दिये, शेअरों का अधिकार दे दिया । यह मामला जस्टिस मसूद के सामने गया । जस्टिस मसूस ने स्टे आर्डर वैकेट कर दिया । यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया । सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने अपील सुनी वह थे जस्टिस के एस हेगडे और श्री के० के० मैथ्यू । उन्होंने जो फैसला दिया उसका एक अंश पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । यह जस्टिस मसूद के लिये है

> "The learned Judge then found that Mundhra was not keen in paying purchase money and getting transfer of 51 per cent shares for the reason that the injunction granted by the court in the decree suit No. 600 of 1961, restraining the appellant from voting excepting in accordance with the instructions of Mundhra made him virtually the owner of 100 per cent shares in Turner Morrison and without paying any amount for 51 per cent shares to Turner Morrison, he got control of Turner Morrison. It was to his interest not to pay anything to the appellant."

यह वह केस है जिसे श्री रे ने सुना था । मैं यह तथ्य आप के सामने रख रहा हूं । मैं जस्टिस रे पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । लेकिन क्या इस में से यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि जस्टिस रे ने ऐसा फैसला दिया जिस में मूंदड़ा को लाभ मिला । लेकिन मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । (**व्यवधान**) क्या इस निर्णय के आधार पर जस्टिस रे का मूल्यांकन किया जायेगा ? किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने सरकार के खिलाफ कोई निर्णय दे दिया, तो क्या उस के आधार पर सरकार उस को उस की वरिष्ठता से वंचित कर देगी ? क्या सरकार ऐसे जज नियुक्त करेगी, जो उसकी हां में हां मिलाये ?

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : इसी लिए तो हम आप को आपोजीशन में लाये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आपकी कृपा से नहीं आये हैं । हम आप के बावजूद आये हैं । (**व्यवधान**)

श्री शशि भूषण : राजमाता की कृपा से आये हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब है कि प्रधान मंत्री जी ने इस विवाद में भाग लेने की आवश्यकता नहीं समझी है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस देश में भरत को भी राज्य दिया गया था, जब कि राम बड़े थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये ऐसे भरत हैं, जो खड़ाऊं के बदले स्वयं राज्य चलाना चाहते हैं ।

लेकिन प्रधान मंत्री ने सदन के बजाय कानपुर के फूल बाग में उस मामले का उल्लेख करना उचित समझा है । उन्होंने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट का हवाला दिया है । प्रधान मंत्री राष्ट्रपति रूजवेल्ट की पंक्ति में बैठने की महत्वाकांक्षा रखें, यह मैं समझ सकता हूं । लेकिन इस का निर्णय इतिहासकार करेंगे, उन के चाटुकार या उन के सलाहकार नहीं ।

प्रेजिडेंट रूजवेल्ट का उदाहरण देना गलत है । प्रेजिडेंट रूजवेल्ट जिस अमरीका के प्रेजिडेंट थे, उस अमरीका में जजों की नियुक्ति की पुष्टि सिनेट के द्वारा की जाती है और कई मामले ऐसे हुए हैं, जब राष्ट्रपति की सिफारिश को अमरीका की सिनेट ने ठुकरा दिया और राष्ट्रपति को दूसरा नाम भेजना पड़ा । भारत में ऐसी कोई पद्धति नहीं है । राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मंत्रि-मंडल

में ऐसे भी कोई सदस्य नहीं थे, जो कभी कम्युनिस्ट रहे हों और आज भी साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हों । राष्ट्रपति रुजवेल्ट की पार्टी में ऐसे लोग भी नहीं थे, जो जजों के क्लास करेक्टर की मीमांसा करते हों राष्ट्रपति रुजवेल्ट के मंत्रि-मंडल में ऐसे वरिष्ठ सदस्य भी नहीं थे, जो जनता में जजों पर लांछन लगाते हों और जब मान-हानि का मुकदमा चलने का डर हो, तो अपने वक्तव्य का खंडन कर के लीपापोती कर लेते हों ।

इंगलैण्ड की बात भी कही गई है, आस्ट्रेलिया तथा कैनेडा का भी हवाला दिया गया है । मैं चर्चिल का एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहता हूं :

"The principle of the complete independence of the judiciary from the executive is the foundation of many things in our Island life. It is perhaps one of the deepest gulfs between us and all forms of totalitarianism. The judge has not only to do justice between man and man but he also—and this is one of his most important functions—has to do justice between the citizens and the State."

अगर व्यक्ति और राज्य का संघर्ष होगा, तो कमिटिड जजिज़ किस तरह का फैसला देंगे ? **(व्यवधान)** ।

सवाल केवल जजों के कमिटमेंट का नहीं है । यह बात यहीं समाप्त नहीं होगी । आज मांग की जा रही है कि जज ऐसे होने चाहिए, जिन की सोशल फिलासफी सरकारी पार्टी की फ़िलासफ़ी हो । कल कहा जायेगा कि चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर ऐसा होना चाहिए, जिस की सोशल फ़िलासफ़ी सरकारी पार्टी की फ़िलासफ़ी हो । **(व्यवधान)** चीफ़ इलैक्शन कमिश्नर के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का सवाल आयेगा । फिर गोलीकांडों की जांच के लिए जो जज नियुक्त होंगे उनके बारे में भी यह देखा जायेगा कि उन की सोशल फ़िलासफ़ी क्या है । तो फिर क्या यह नियम सेनाओं पर भी लागू किया जायेगा ? क्या सेनापति उन्हें नियुक्त किया जायेगा . . .

श्री बसंत साठे (अकोला) : श्री कुमारमंगलम ने जो कहा है, माननीय सदस्य उस की बात करते हुए कम से कम उस में झूठ न डालें । श्री कुमारमंगलम ने यह कहां कहा है कि हमारी पार्टी की फ़िलासफ़ी हो ? माननीय सदस्य वह वाक्य बता दें ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : श्री मोहन कुमारमंगलम किस की फ़िलासफ़ी की बात करते हैं ?

SHRI PILOO MODY (Godhra) : I agree that he did not talk about his Party's philosophy. He talked about his master's philosophy. His party had never held that philosophy.

SHRI VASANT SATHE : He talked about the philosophy that is enshrined in our Constitution ... (*Interruptions*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर श्री साठे संविधान के दर्शन की बात करते हैं, तो यह संविधान कल नहीं बना है; यह 1950 से बना है । आज तक जजों की जो नियुक्तियां हुई, वे इसी संविधान के अनुसार हुईं और इसी संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले जज बने । उन्होंने जो फैसले किये, वे इसी संविधान की कसौटी पर कस कर किये ।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से मतभेद हो सकता है । सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसलों पर पुनर्विचार भी कर सकता है । क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़ंडामेंटल राइट्स से सम्बन्ध में एक अच्छा फ़ैसला—सरकार की दृष्टि से—दिया, उसी शाम को सुप्रीम कोर्ट के उठने के बाद रेडियो से नये चीफ़ जस्टिस की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की बैठक होने से पहले नये चीफ़ जस्टिस ने शपथ ले ली ? रात के अंधेरे में यह काम करने की आवश्यकता क्या थी ? यह काम गुप्तता में क्यों किया गया ?

(श्री अटल बिहारी वाजपेयी)

कल यह रहस्योद्घाटन किया गया है कि सरकार ने रिटायरिंग चीफ जस्टिस को भी विश्वास में लेने का शिष्टाचार नही दिखाया उस की आवश्यकता नही समझी। मेरे पास एक उद्धरण है डा० अम्बेडकर का। लेकिन अब डा० अम्बेडकर का उद्धरण देने की क्या आवश्यकता है? अब तो मोहन कुमारमंगलम की फिलासफी चलेगी। डा० अम्बेडकर ने कहा था

> "It seems to me that in the circumstances in which we are to-day, it would be dangerous to leave the appointments to be made by the President without any kind of reservation or limitation, that is to say, merely on the advice of the executive of the day Similarly, it seems to me that to make every appointment subject to the concurrence of the Legislature is also not a very suitable provision Apart from its being cumbrous, it also involves the possibility of the appointment being influenced by political pressure and political considerations The draft article, therefore, steers a middle course It does not make the President the supreme and the absolute authority in the matter of making appointments It does not also import the influence of the Legislature The provision in the article is that there should be consultation of persons who are *ex hypothesi* well qualified to give proper advice in matters of this sort"

डा० अम्बेडकर ने यह नही कहा कि केवल मंत्रि-मंडल विचार-विनिमय किया जायेगा। राष्ट्रपति कोई मिट्टी के माधो नही है। राष्ट्रपति कोई मुहर लगाने की मशीन नही है। राष्ट्रपति रिटायरिंग चीफ जस्टिस से पूछ सकते थे। वह हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिसिज़ से विचार विनिमय कर सकते थे। (व्यवधान) लेकिन मुझे पता लगा है कि राष्ट्रपति महोदय पर दबाव डाला गया कि आप तीन जजो को सुपरसीड कर दीजिए और जस्टिस रे को चीफ जस्टिस नियुक्त कर दीजिए। क्या यह संविधान की भावना के अनुकूल है? क्या यह डा० अम्बेडकर की उद्घोषणा के अनुसार है?

13.00 hrs

स्पष्ट है कि आज संविधान को ताक पर रखा जा रहा है, न्यायपालिका की जड़ पर कुठाराघात किया जा रहा है। आज सरकार मूलभूत अधिकारों की हत्या करने पर उतारू है। इस देश में आर्थिक विकास तेजी से हो कोई भी इस के विरोध में नही है। लेकिन सरकार आर्थिक मोर्चे पर अपनी विफलताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट को बलि का बकरा बनाना चाहती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसे कदम उठाने से रोका है, जिन से महगाई कम हो सके? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राइट टु वर्क को फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने से रोका है? गोलकनाथ के केस में मूलभूत अधिकारों को घटाने से रोका गया था, बढ़ाने से नहीं। अगर सरकार चाहती तो काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार में शामिल कर सकती थी। हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दे सकती थी और अगर रोजगार नहीं मिलता तो उस व्यक्ति का जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन देने का प्रबन्ध कर सकती थी। इस के लिए कोई संविधान में व्यवस्था नही की गई। इस में सर्वोच्च न्यायालय बाधक नही बना।

आज फिर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पार्लियामेंट बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है? मेरा निवेदन है कि अपने क्षेत्र में पार्लियामेंट बड़ी है और अपने दायरे में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। दोनों से बड़ा भारत का संविधान है और संविधान से बड़ी भारत की जनता है। यदि सरकार समझती है कि वर्तमान संविधान त्वरित आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के मार्ग में बाधक है, तो सरकार संविधान बदल सकती है। सरकार अगर चाहे तो संसद से नई संविधान परिषद् का निर्माण करने का फैसला करा सकती है। वह नई कांस्टीट्यूएंट असेम्बली एक नये संविधान का भी निर्माण कर सकती है। लेकिन जो कानून बनते हैं वह कानून उस नये संविधान की कसौटी पर खरे हैं या नहीं यह मामला फिर सर्वोच्च

न्यायालय पर छोड़ना पड़ेगा और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ग्रेसफुली स्वीकार करना पड़ेगा। अगर सरकार उस से मतभेद रखती है तो उस को भी बदलने के रास्ते हैं। लेकिन यह रास्ता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जी हुजूरों का जमघट बना दो, हां में हां मिलाने वालों को वहां इकट्ठा कर दो। इस का नतीजा क्या होगा कि जो जज सरकार की हां में हां मिलाएगा, जो जज सरकार के पक्ष में फैसला देगा वही चीफ जस्टिस बनेगा।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) जज न हुआ चमचा हो गया।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या इस से संविधान की रक्षा होगी ? क्या इस से लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा ?

अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि सरकार चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता के नियम को स्वीकार करे। कोई नियम नहीं है, कोई नार्म नहीं है, यह मेरे मित्र जगन्नाथ राव ने भी अपने भाषण में कहा था। क्या सरकार को इस मामले में मनमानी करने दी जायगी ? अगर वरिष्ठता का नियम आप को मान्य नहीं है तो और कोई पद्धति होनी चाहिए जिस का अवलम्बन कर के आप जिस के अधिकार की अवहेलन कर रहे हैं उस में यह भाव पैदा न होने दें कि आप राजनैतिक कारणों से उस को सुपरसीड कर रहे हैं और उस को अपमानित करना चाहते हैं। अच्छा तो यह होगा कि वरिष्ठता का नियम लागू किया जाए और अभी तक वह लागू किया गया था। जस्टिस इमाम का मामला अलग था। वह शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ थे, अतः गजेन्द्रगडकर बना दिए गए। विधि मंत्री ने कल कहा कि मैं कई उदाहरण देने के लिए तैयार हूं जिस में सीनियर को सुपरसीड कर के जूनियर को जज बनाया गया था। ऐसे मामले हो सकते हैं। लेकिन जब ऐसे मामले हुए तब कमिटेड जूडिशियरी के लिए सरकार चर्चा नहीं करती थी। तब सरकार को मार्ग दर्शन देने वाले मोहनकुमार मंगलम नहीं थे। तब सरकार की नीयत पर शक नहीं था। आज जो बूनियादी झगड़ा है वह यही झगड़ा है कि हमें सरकार की नीयत पर शक है।

इस देश में कौन-सा दर्शन चलेगा ? इस देश की एक प्राचीन परम्परा है। यहां पंच को परमेश्वर माना जाता रहा है। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल से संबंधित हो, किसी भी वर्ग से आता हो, एक बार, न्याय-मूर्ति की कुर्सी पर बैठ गया तो सारे लाभ को सारे लोभ को, सारे मोह को त्याग कर वह सत्य का निर्णय करेगा, यह इस देश की परम्परा रही है। मैं एक उदाहरण देता हूं।

जगदगुरू आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ होने लगा, दो विद्वान आपस में टकराने लगे तो प्रश्न पैदा हुआ कि निर्णय कौन करेगा ? कौन न्यायाधीश बनेगा ? मंडन मिश्र की पत्नी को न्यायाधीश बनाया गया। शंकराचार्य ने आपत्ति नहीं की। शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि मंडन मिश्र यह तो तुम्हारी पत्नी है, यह तो तुम्हारे पक्ष में फैसला देगी। शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि मंडन मिश्र की पत्नी का क्लास कैरेक्टर क्या है ? शंकराचार्य ने कहा कि एक बार न्यायाधीश के पद पर बैठ गई, भले ही यह आप की पत्नी होगी, मगर यह तथ्यों के आधार पर, सत्यों के आधार पर निर्णय करेंगी। यह इस देश की परम्परा रही है। इस देश में जहांगीर के न्याय की परम्परा है। लेकिन मोहन कुमार मंगलम उस परम्परा में विश्वास नहीं करते। वह गंगा के तट पर फली और फूली परम्परा में विश्वास नहीं करते। वह वोल्गा में पनपने वाली परम्परा पर विश्वास करते हैं। वह व्यक्ति को बिना पालिटिक्स के देख ही नहीं सकते। क्या व्यक्ति निष्पक्ष नहीं हो सकता।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप शादी कीजिए, आप की पत्नी को हम बनाएंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, जब मैं इन से शास्त्रार्थ करने जाऊं तो यह अपनी पत्नी को बना सकते हैं । मुझे आपत्ति नही होगी ।

मै अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हू । व्यक्ति निस्पृह हो सकता है, निष्पक्ष हो सकता है, सिरासक्त हो सकता है । व्यक्ति धरती से ऊपर उठ कर, सारे स्वार्थों को तिलांजलि दे कर फैसला कर सकता है । ऐसी न्यायपालिका हमें चाहिए ऐसी न्यायपालिका हमें विकसित करनी होगी । व्यक्तिगत स्वाधीनता के साथ आर्थिक क्षमता का समन्वय करना होगा । श्री मोहन कुमार मगलम केवल आर्थिक समता चाहते हैं , व्यक्तिगत स्वाधीनता नही । हम व्यक्तिगत स्वाधीनता भी चाहते हैं और आर्थिक समता भी चाहते हैं । यह बुनियादी मतभेद है । यह मतभेद तीन जजो का मतभेद नही है । यह लोकतत्र और अधि-नायकवाद का मतभेद है । यह ढोगी और कमिसार का मतभेद है । यह महात्मा और मार्क्स का मतभेद है । यह लोकतत्र और मोहनकुमार मगलम का मतभेद है ।

मै चाहूगा कि विधि मंत्री स्पष्ट करे और अच्छा होता कि इस सदन में प्रधान मंत्री आती और बताती कि श्री मोहन कुमार मगलम ने जिस दर्शन की व्याख्या की है क्या वह काग्रेस पार्टी का दर्शन है ? मै जानना चाहता हू कि क्या काग्रेस पार्टी मे उस के ऊपर कभी चर्चा हुई है ? अगर जज दर्शन के हिसाब से नियुक्त किए जाएगे तो फिर सोशलिस्ट फोरम का अलग दर्शन है जो सोशलिस्ट फोरम कब्र मे शांति से सो रहा है और नेहरू फोरम का दर्शन अलग है जो सिसकियां ले रहा है । मै जानना चाहता हू कि जज कौन से दर्शन को प्रतिबिम्बित करेंगे ? राज्यो मे अलग अलग दलो की सरकारें होगी । क्या वहा के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उन दलो के दर्शन का प्रति-निधित्व करेगी ? जिस फिलास्फी का इन्होंने प्रतिपादन किया है वह लोकतंत्र विरोधी है, वह दर्शन न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर आघात करने वाला है, वह लोकतंत्र का विनाश करने वाला है और इसीलिए हम ने फैसला किया है कि हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, सदन मे भी और बाहर भी ।

श्री बी० पी० मौर्य (हापुड) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्री अटल जी ने एक बहुत अच्छी शेर पढ़ कर चर्चा का प्रारंभ किया था । उन्होंने बहुत से आरोप हमारे दल पर लगाए । उन की उस शेर का जवाब मे एक शेर से देना चाहूगा

तरदामनी पै हमारी जाइयो न शेख ।

दामन निचोड दे तो फरिश्ते वजू करें ।।

अर्ज यह करना चाहता हू कि आज के दिन यह देखना होगा कि संविधान के लिए जनता है या जनता के लिए संविधान है ? संविधान के लिए जनता बनाई गई है या जनता के लिए संविधान बनाया गया है जनता के रास्ते मे संविधान की कोई व्यवस्था आ जाय तो उसे हटाया जायगा या संविधान के रास्ते मे जनता आ जाय तो जनता को हटाया जायगा ? केवल इस तथ्य को अटल जी जान ले तो वह समझ पाएगे कि जनता के लिए संविधान है, संविधान के लिए जनता नही है । और जब संविधान जनता के लिए है तब फिर सुप्रीम कोर्ट भी जनता के लिए है । सुप्रीम कोर्ट केवल अटल जी के लिए या कुछ करोड़पति, अरबपति सेठो के लिए नही है ।

उन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डा० अम्बेडकर को यहाँ पर कोट किया । और बाबा साहब को कोट करते समय उन्होंने यह कहा था, वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर-मैन थे, मै उन्ही की उन भावनाओ को यहा फिर से रखना चाहता हूं । मै कोट कर रहा हूं कांस्टीटयुएट असेम्बली डिबेट वाल्यूम 11 पृष्ठ 979 ।

Parampujya Baba Saheb Dr. Ambedkar, while presenting the Constitution, stated on 25 November, 1949, (Vol. XI, p. 979)

"The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without, fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them. We must begin by acknowledging the fact that there is complete absence of two things in Indian Society. One of these is equality. On the social plane, we have in India a society based on the principle of graded inequality which means elevation for some and degradation for others. On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so elaboriously built up."

यदि आप इस को मानते हैं, तब आप को यह सोच कर चलना पड़ेगा कि चाहे जूडीशियरी हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एक्जीक्यूटिव हो, उन को यह देखना होगा कि उनका चलन जनता की आकांक्षाओं के अनुसार है या नहीं देश की पराधीनता का आर्थिक विषमतायें, सामाजिक विषमतायें कारण रही हैं, उनको समाप्त करने के लिये संविधान को इस तरह से इन्टरप्रेट करें, संविधान की आत्मा को जान कर इस तरह से उसका इन्टरप्रेटेशन करें कि आर्थिक और सामाजिक विषमता इस देश से समाप्त हो सके।

उन्होंने अपने तर्क में बहुत सी बातें कहीं हैं, उन में एक यह भी है कि सीनियोरिटी को क्यों कायम नहीं रखा, जब कि अब तक यह परम्परा रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि कंसलटेशन होना चाहिये। मैं आपका ध्यान ड्राफ्ट की धारा 103 और 105 तथा संविधान की धारा 124 और 126 की ओर दिलाना चाहता हूं——

"There shall be a Supreme Court".

यह ड्राफ्ट में था——

"Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal after consultation with such of the Judges of the Supreme Court and of the High Courts in the States as may be necessary for the purpose and shall hold office until he attains the age of 65 years".

इस में कहा गया है——

'as may be necessary'.

यह ड्राफ्ट में था, लेकिन संविधान में क्या हुआ ——संविधान में 'बी" शब्द को हटाया गया और उसकी जगह "डीम" शब्द को लाया गया, वह उससे भी ज्यादा कमजोर शब्द है——आप जरा इसको समझने की कोशिश कीजिये।

[श्री बी० पी० मौर्य]

"As the President may deem necessary" "Be" was deleted and it was made "deemed necessary."

अर्थात् "बी नैसेसरी" की जगह "डीम नैसेसरी" हो गया। अब अगर आप इसकी बैकग्राउण्ड में जाना चाहते हैं तो मैं बैकग्राउण्ड में भी जा सकता हूं। मैं कान्स्टीच्यूएन्ट असेम्बली की डिबेट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—जिस समय कन्सलटेशन के बारे में बहस हो रही थी, उस समय श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा था—पृष्ठ 252 वाल्यूम 8—

"I want now to say a word about consultation In my opinion, the amendment suggested by Dr Ambedkar for the deletion of the line where it is said that "after consultation with such of the judges of the Supreme Court and the High courts in the States where necessary" should be accepted After all, this is a matter which should be entirely dealt with by the President He can, if he likes, consult anybody If he does not like he need not consult anybody If he knows the man to be of outstanding ability, it is not necessary for the President to consult anybody"

मोदी जी, यह रामलीला मैदान नहीं है, लोक सभा है—जरा इधर ध्यान दीजिये। अब मैं श्री अटल जी तथा उन के विरोधी साथियों का ध्यान श्री कामथ के एक अमेण्डमेन्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने ड्राफ्ट पर मूव किया था। उस में जूरिस्ट शब्द नहीं था, कान्स्टीट्यूशन आफ दी सुप्रीम कोर्ट के बारे में सिर्फ (ए) तथा (बी) क्लाज थे—

"(a) has been for at least five years a judge of the high court, and

(b) has been for at least 10 years an advocate of the high court

(c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist"

(सी) इस में बाद से आया, जब श्री कामथ ने अमेण्डमेन्ट रखा और उन्होंने कहा था कि यह जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेन्ट हाई-कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेज को चीफ जस्टिस बनायें, इसलिये इसमें सीनियोरिटी का प्रश्न कहां रह जाता है। उन के कहने पर (सी) इस में जोड़ा गया था—

"is, in the opinion of the President, a distinguished jurist."

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने उसके साथ मेहनत की थी, उसमें सीनियोरिटी की कोई व्यवस्था नहीं रखी थी। मैं मानता हूं कि परम्परा रही थी, जजेज की सीनियोरिटी लिस्ट बनाई जाती थी, लेकिन उस परम्परा का यह अर्थ नहीं है कि हिन्दुस्तान में अगर उनसे भी ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति उपलब्ध है तो उसको चीफ जस्टिस न बनाया जाय। यह चीज इसीलिये प्रेजिडेन्ट पर छोड़ दी गई थी कि वह जिसको उसके योग्य समझें, उसे चीफ जस्टिस बनायें।

मैं एक और बात आपको बतलाता हूं—स्वयं हैगड़े जी ने सीनियोरिटी का प्रश्न नहीं उठाया है, जिन की आप यहां पर वकालत कर रहे हैं। सीनियोरिटी उनकी दृष्टि में कोई जरूरी नहीं है। उन्होंने तो फिटनेस के बारे में कहा है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इस को कौन तय करेगा? मैं आपके द्वारा इन विरोधी नेताओं को जो प्रतिक्रियावादी शक्तियों के प्रतीक हैं, कहना चाहता हूं क्या फिटनेस श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री पीलू मोदी तय करेंगे या उनके कोई साथी तय करेंगे या हैगड़े साहेब तय करेंगे। अध्यक्ष जी, फिटनेस तय करेंगे—देश के राष्ट्रपति जी, सरकार की कैबिनेट के मशविरे से तय करेंगे।

जब फिटनेस के बारे में बात आती है तो और भी बहुत से प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जहां कहीं भी जनतन्त्र चलता है, अगर वहां सीनियोरिटी की बात की जाय तो उसका मजाक बनाया जायगा। क्या फिटनेस का विरोधी दल तय करेंगे, प्रतिक्रियावादी तय करेंगे, मोरारजी भाई देसाई तय करेंगे? यह बात समझ में नहीं आती है। कौन तय

करेगा और किस तरह से तय किया जायगा—सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होना चाहिये—इस को केवल देश के राष्ट्रपति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय है—इस सम्बन्ध में मैं एक और विचार आपके सामने रखना चाहता हूं—

the famous Justice Holmes of the USA:—

"About 75 years ago, I learnt that I was not God and so, when the people want to do something and I can't find anything in the Constitution expressly forbidding them to do so, I say whether I like it or not, 'God damn it, let 'em do it.'."

यह भावना होनी चाहिए लेकिन क्या हैगड़े साहब की यह भावना है ? वे देख रहे थे देश की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि करोड़पति अरबपति होते जा रहे हैं, गरीब भूखो मर रहे हैं लेकिन जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न आया उसका उन्होंने विरोध किया और प्रिवी पर्स का उन्होंने समर्थन किया।

अटल जी ने यह प्रश्न उठाया कि इन्दिरा जी ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा। आज ही नहीं, जुडीशियरी की आजादी समाप्त किए जाने का आरोप उन पर आज से बहुत पहले से लगाया गया था और उस समय 1 फरवरी, 1970 को दादा और इटावा बार एसोसिएशन में उन्होंने कहा था, मैं अपनी नेता इन्दिरा गांधी को कोट कर रहा हूं

"Government had no intention of curbing the independence of the judiciary. But surely there was need to look at the law and interpret it with a new angle and a new social consciousness."

यह उनका विचार था, यह उनका विचार है और यह हम सबका विचार है। जैसा कल स्वयं कुमारमंगलम जी ने कोट किया था, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था जो अटल जी ने कहा है कि ऐसे जजेज चाहिए जो कमिटेड हों। नहीं, यह नहीं कहा। उन्होंने इससे इन्कार किया था। उन्होंने कहा था कि हमको ऐसे जज नहीं चाहिए जो कमिटेड हों। इन के एक में हम नहीं हैं। उन्होंने विरोध किया था जिस तरह के अमरीका में जज बनते हैं, जिस तरह के जज कनाडा या आस्ट्रेलिया में बनते हैं उसका भी उन्होंने विरोध किया था। उन्होने कहा था कि ऐसे जज चाहिए जो फार्वर्ड लुकिंग हों, बैकवर्ड लुकिंग न हों। इस सम्बन्ध में मैं कह देना चाहता हूं कि स्वयं भूतपूर्व चीफ जस्टिस श्री हिदायतुल्ला जी ने अपने विचारों को रखते हुए कहा था :

"We must avoid too much theory and become practical and pragmatic.

लेकिन कुछ ऐसे जजेज है, जोकि एक महदूद दायरे में रहना चाहते हैं जहां से देश की जनता दिखाई नहीं पड़ती है। जहां तक जुडीशियरी की आजादी का सवाल है सरकार की कोई भी इच्छा नहीं है कि उसमें किसी तरह की रोक डाली जाये। लेकिन यह अवश्य है, हम यह जरूर देखेंगे कि यह सदन जो कानून बनाये और जो संविधान है उसका इन्टरप्रिटेशन करने का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान रहता है सुप्रीम कोर्ट रखता है

Judiciary shall not be allowed to inter pret law in such a style and fashion that they begin to make the law.

यह नहीं होने दिया जायेगा। यहां पर अगर ऐसी कोई व्यवस्था होगी तो उसको रोकने की कोशिश की जायेगी।

हिन्दुस्तान टाइम्स में जिसमें हेगड़े साहब का बयान निकला था उसमें बहुत कुछ निकला, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कल तक कौन इनसान था जो सुप्रीम कोर्ट के पवित्र न्यायालय में एक भगवान के रूप में इन्साफ के लिए बैठा था आज उसके अन्दर दबा हुआ शैतान बाहर निकल आया है। वह एक ऐसा इनसान था जिसको इतनी बड़ी ताकत इस सरकार

[श्री बी० पी० मौर्य]

में दे रखी थी, इस देश की व्यवस्था ने दे रखी थी लेकिन आज वह किस तरह की भावनाओं का प्रदर्शन करता है । वह कहता है राजनीति के बारे में

"I will not hesitate to join a political party if it would serve the purpose"

उनका पर्पज क्या है ? उनका कहना है जनतन्त्र खतरे में है, उनका पर्पज है डिमोक्रेसी को स्लाटर किया जा रहा है और केवल हेगड़े साहब इसको बचा पायेंगे । हमारे ब्रज मे एक बहुत अच्छी कहावत है । पिदन्का और पिदन्की दो चिड़िया होती हैं । पिदन्का नर होता है और पिदन्की मादा होती है । जब बादल गरजता है तो पिदन्का अपने पैर ऊपर कर लेता है । जब पिदन्की पूछती है कि अपने पैर ऊपर क्यो किये हो तो पिदन्का कहता है देखती नही बादल गरज रहा है गिर जायेगा फट जायेगा, तुम मर जाओगी बच्चे मर जायेंगे लेकिन इस तरह से वह मेरे पैरों पर रुक जायेगा । इसीलिए मैंने अपने पैर ऊपर कर रखे है । ठीक उसी तरह का रूप आज मुझे हेगड़े मे नजर आता है । जब वह इस बात को कहते है और दावा करते है कि वे जनतन्त्र को रोक पायेंगे । यदि उनका इस देश की सर्वश्रेष्ठ नेता इन्दिरा गांधी की इंन्टेग्रिटी मे शक है तो मैं कह सकता हूं कि प्रतिक्रियावादी ताकतो मे एक भी ऐसा व्यक्ति नही है जो उनसे ऊंची इन्टेग्रिटी रखता हो ।

मैं अन्त मे एक शब्द और कहना चाहता हू । अब्राहम लिंकन को याद करिये । यह कहा से झगड़ा चला है ? कन्फन्टेशन का प्रश्न उठा था कि जुडीशियरी ज्यादा आगे है या यह सदन ज्यादा आगे है । कौन अपना विशेष स्थान रखता है । प्रश्न इस बात का उठा था कि इसको निश्चित किया जाये और इसके बारे में खुद जुडीशियरी ने आपको चुनौती दी थी । गोलकनाथ के केस में आपको चुनौती दी गई थी कि फंडामेन्टल राइट्स, मूल अधिकारो को यह सदन छू नही सकता है, पार्लमेन्ट छू नही सकती है । एक बहुत बड़ी चुनौती उन्होने दी थी और उस समय भी आपने उन्ही का समर्थन किया था, आज भी उन्ही का समर्थन कर रहे हैं, जाने या अनजाने । मैं अब्राहम लिंकन को आपकी सुविधा के लिए कोट करता हू

"A House divided against itself cannot stand very long"

मै विरोधी दलो से निवेदन करना चाहता हू कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर वह आख बन्द कर नही सकते । मै मानता हू डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स मे ऐसी कोई शक्ति नही है जिनको अदालत मनवा सके लेकिन यह देखना होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स में कहा गया है कि सम्पत्ति कुछ गिने चुने लोगो के हाथो मे न सिकुड जाये न चली जाये तो बैंको के राष्ट्रीयकरण मे उसको रोका गया या उसको बढ़ावा मिला ? लेकिन उसका ध्यान जुडीशियरी ने उस समय नहीं रखा । हमारे मित्र बहुत बुरा शब्द कह रहे थे उसको मै दोबारा रिपीट नही करना चाहता लेकिन मै यह निवेदन करना चाहता हू जैसा कि पहले भी हमारी ओर से कहा गया, क्या रे साहब ने कई बार सरकार के खिलाफ फैसला नही किया । जब कभी पर्सनल लिबर्टी का सवाल आया है आज के चीफ जस्टिस जनसाधारण की रक्षा के लिए हिमालय बनकर खड़े हो गए है । लेकिन जब ऐसी व्यवस्था आई है करोड़पति अरबपति और सरमायेदारी का ताड़न के लिए उनको रोकने के लिए तब चीफ जस्टिस उनको रोकने के लिए खड़े हो गए हैं । इसमे सरकार का कोई सवाल नही है । मैं इसके बहुत विस्तार मे जाना नही चाहता । मैं यहा पर फिरसे श्री हिदायतुल्ला जी को कोट करना चाहता हू

"I wish to contradict the belief entertained in some quarters that the judges think that they are the sole guardians of the rights of the people. If any judge in India thinks that way, he is wrong. I agree with Justice Frankfurter that 'to

the legislature no less than to the courts' is committed the guardianship of the deeply cherished constitutional rights."

यह जस्टिस हिदायतुल्ला के प्रवचन हैं, उनके विचार हैं : दूसरी ओर आपके मित्र हेगड़े कहते हैं अगर जुडीशियरी इस तरह से चलेगी तो जनतन्त्र बहुत खतरे में है। मैं कोई भविष्यवाणी नही करना चाहता और न ऐसी मेरी आदत ही है लेकिन मै यह कहना चहता हूं कि हेगड़े आयेंगे, जायेंगे, चीफ जस्टिस आयेंगे और जायेंगे परन्तु यह मेरा पूरा विश्वास है कि जनतन्त्र जो भारत में सब से बड़े आधार पर चल रहा है वह जनतन्त्र है, यह जनतन्त्र था, यह जनतन्त्र रहेगा, कोई भी ताकत इस जनतन्त्र को समाप्त नही कर सकती है। निश्चयपूर्वक ऐसा समय जरूर आयेगा जब बिड़ला नही रहेंगे, टाटा नही रहेंगे, कांगेडपति नही रहेंगे, सामाजिक और आर्थिक शोषण नही रहेगा—ऐसा समय जरूर आयेगा। इन शब्दों के साथ मै आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI G. VISWANATHAN (Wandiwash) : Mr. Speaker, Sir, my intention in participating in this debate is not to score a debating point over my Congress friends. But, I would like to convince them that what has been done by Government is totally wrong.

As far as the appointment of the Chief Justice of Supreme Court is concerned, this Government is completely isolated, thoroughly exposed and totally condemned except by the committed opposition. The country is shocked. What is wrong with them? (*Interruptions*)

Let me remind the Congress members that my party, the DMK, supported all these amendments which were challenged before the Supreme Court. Whether it was the abolition of privy purses, abolition of the privileges of the ICS, 24th Amendment which brought back the powers to Parliament to amend fundamental rights, or the nationalisation of banks—all these amendments were supported by the DMK. We are second to none in implementing and passing radical land reforms etc. in our State. At the same time, I am second to none in condemning this Government for wanting to have a committed judiciary. Sir, the Supreme Court is considered to be the bastion of democracy and the temple of justice. But the super minister for law and justice, who spoke yesterday, never mentioned the words "independent judiciary" anywhere in his hour-long speech.

13.30 *hrs.*

[SHRI N. K. P. SALVE *in the Chair*]

Mr. Gokhale reads the letter of the Constitution. I want him to see the spirit behind the Constitution. Let me quote what the founding fathers of the Constitution have said. Mr. Ananthasayanam Ayyangar, one of the leading members of the Congress Party said :

> "The Supreme Court is the watch-dog of democracy. It is the eye and guardian of the citizen's rights. Therefore, at every stage, from the stage of appointment of judges, their salaries, tenure of office --all these have to be regulated now so that the executive may have little or nothing to do with their functioning."

Other members like Mr. Nazruddin Ahmed and Dr Ambedkar also spoke in the same vein. I hope my friends on the other side still believe in what Dr. Ambedkar said. He said,

> "There is no doubt that the House in general has agreed that the independence of the judiciary from the executive should be made as clear and definite as we could make it by law."

This is how the founding fathers wanted the Supreme Court to be independent and impartial. But now the Government wants to bring down. What is the way they are adopting? They have superseded three judges. I am not here to propound the theory that seniority is sacred and should be always upheld. But what is the principle you want to bring in when you want to break a tradition? You have to tell the people, this is the principle we want to follow hereafter. You have not done it. Till Chief Justice Sikri retired, he was not aware of the successor to his office. He heard it only on the radio as to who is going to be his successor. This is a stealthy and cowardly way of appointing

[Shri G. Viswanathan]

a Chief Justice. That is why the entire legal profession is condemning your action and boycotting the courts. Why did you not announce the appointment beforehand?

You had enough of opportunity. One of our friends, Shri Jaganatha Rao was saying that there was no time at all, the judgment came on the 24th, Chief Justice Sikri retired on the 25th and immediately they had to make the appointment. It is not true. This point was brought to the notice of the Government two years ago. In 1970 in Rajya Sabha Shri Loknath Mishra drew the attention of the Government to a press report that Shri Mohan Kumaramangalam is going to be appointed as the new Chief Justice of India and he wanted a categorical assurance from the Government that they will follow the traditions and that Shri Mohan Kumaramangalam will not be appointed as the Chief Justice of India. Government did not clarify the position then. But the Government then did not put forth the new theory of social philosophy and change. Government kept quiet. In November 1970 the Supreme Court Bar Association passed a resolution in which it wanted an assurance from the Government that the conventions and traditions would be followed. Even then the Government kept quiet. Now they have done it on the 26th in a stealthy way, and that is why we condemn it.

Now they say they want a judge who will understand the social philosophy. To quote Shri Kumaramangalam :

> "But we do want judges who are able to understand what is happening in our country the wind of change that is going across our country, who is able to recognise that Parliament is sovereign."

I want to ask the Government whether the Government and the Congress Party accept this view. If they accept this view of "wind of change" they must remember that wind does not blow only in one direction; it often changes the direction. What will happen to our Judges then? Do you want chameleon judges who will change their colour with the wind?

There is an article today in the *Indian Express* written by Shri E. P. W. Da Costa, Director, Indian Institute of Public Opinion. He has been following for the last six or seven years how the popularity of the Prime Minister goes up or down. He says :

> "The tide is now clearly turning. Indira Gandhi's popularity score has declined from the peak of 260 in 1972 to 165. in the current survey. This indeed would seem to be a steep fall. That she remains at her post-budget 1971 peak, however, should provide some comfort to the Congress Party. Two bye-elections during the last six months were already reflecting this drastic change in the popular mood. The current survey further corroborates this evidence. One does not need survey evidence to prove the wide-spread economic discontent. Short of economic transformation, this discontent may spread further and endanger massive popular support in the coming elections in UP and Orissa. Polls are now contemplated in these States to measure more closely to the grass root level the force of the winds of change."

I want to ask the government this question. If you are going to accept the theory of of change of wind, do you want to have weathercock judges in this country, weathercock Supreme Court Chief Justice in this country. I think this theory of Shri Mohan Kumaramangalam which you are going to accept is a dangerous theory.

He talks of not only social philosophy but also something else. He says :

> "Fourthly, it is entirely within the discretion of the Government of the day to appoint a person considered in its eye as the most suitable as having the most suitable philosophy or outlook to occupy the highest judicial office in the country."

It is not only social philosophy; it is suitable philosophy. I want to ask : What is suitable philosophy? Suitable to whom? Is it the Congress tradition and the Congress philosophy or the Marxist philosophy? Let Mr. Gokhale give answer to that. Is it in consonance with the Congress ideology? I want to know whether the speech of Mr. Mohan Kumaramangalam is in consonance with the Congress traditions which stood for democracy and which fought for democracy.

Not only that. Again, he has said in his speech—I quote :

> "It is not an essential pre-condition to the proper working of the democratic

system that a Judge prior to appointment should be innocent of political views or convictions."

What is the meaning of this statement? He says clearly that a Judge to be appointed need not necessarily be a non-politician, that a politician can be appointed and I think somebody is in store. He has already somebody in his mind. I do not know whether he is going to be a Congress man or a Communist sitting on the Congress Benches. He says that essentially it is not a pre-condition that somebody should be innocent of political views. I want to know whether this is the philosophy of the Government of India, whether this is the philosophy that you find in the Constitution. If the Government says that Judges have to follow the philosophy enshrined in the Constitution, if the Government comes with a view that they have to follow the Constitution in letter and spirit, I will wholeheartedly support them. But this is not the point of view of the Government of India as put forth by Mr. Mohan Kumaramangalam.

They want a *gulam* to be the Chief Justice of India, the Judges of the Supreme Court and the High Courts. If it is so, you can appoint Dr. Shankar Dayal Sharma or anybody else. Is it the independence of judiciary of which Mr. Ambedkar, Mr. Naziruddin Ahmed and so many of our politicians and senior parliamentarians have spoken of? It is not so. It is not the philosophy of this country. I think, this is not the philosophy of the Congress also.

Further, Mr. Mohan Kumaramangalam and others have pointed out and quoted some imperialist countries. I want to quote Soviet Union. The Supreme Court or other court is not of much consequence there. But there also, in theory, an independent judiciary is envisaged. This is from a USSR publication. I quote :

> "Judges are independent and subject only to the law ....

—not to the executive, not to Mr. Mohan Kumaramangalam—

> "This is a constitutional principle. In judging cases, Judges are guided by their inner convictions, ...

—not social philosophy or wind of change—

> "the law and the evidence of the case as established by the court."

This is what the USSR Constitution says. Mr. Mohan Kumaramangalam seems to be more royal than the King. What is given in the USSR Constitution he wants to deny to this country which is a free country.

SHRI PILOO MODY : More red than the reds.

SHRI G. VISWANATHAN : He says that the Opposition is against social reforms and against social change. There is every need for social reforms and a social change. There are many laws which are to be brought forward and implemented, as far as land reforms are concerned, as far as urban ceiling is concerned or as far as unearthing of black money, curbing of monopolies, preventing concentration of economic power etc. are concerned. All these have to be done. Whose duty is this? It is the duty of the Supreme Court? Is it the duty of the Chief Justice of India to bring about social reforms in this country? It is the duty of the Parliament and the Government of India. You cannot shirk your responsibility and ask the judiciary to do your job. They are not the law-makers. We are the law-makers. It is your duty to implement whatever laws are made by the Parliament of this country. If you ask the judiciary or the Supreme Court of India to bring about social changes and social reforms, I will not allow judiciary to usurp this right of Parliament. It is not only our duty. It is our privilege and our right also.

We have to pass the laws and you have to implement them.

Mr. Gokhale pleads that it is according to the report of the Law Commission. I want to ask him what does the report of the Law Commission say as far as the appointment of Chief Justice of India is concerned. They have clearly stated that, while appointing the Chief Justice of India, you have to take into consideration the tenure of office, and they have prescribed that the Chief Justice of India should remain in office at least from five to seven years. I want to ask the Government of India whether they had taken this into consideration when they made this appointment. Not at all. The present incumbent will be there only for three years and a few months. The Government did

[Shri G. Viswanathan]
not follow the report of the Law Commission. What else did they follow then?

Once Mr. Nehru wanted to break the convention. When Chief Justice Kania was to retire, Justice Patanjali Sastri should have automatically been appointed Chief Justice. Mr. Nehru wanted to supersede him. Justice Patanjali Sastri also agreed to be superseded. But the entire Bench protested and they threatened that they would resign *en masse* if Justice Patanjali Sastri was not promoted as Chief Justice. I would like to remind the Government that Justice Mukherji, who should have become Chief Justice of India according to Mr. Nehru's formula, threatened that he would also resign if Justice Patanjali Sastri was overlooked. Mr. Nehru was a democrat and he bowed before the opinion of the judges. And what is happening now, I leave it to the country and to the House to judge.

In the last 15 or 20 years, Mr. Gokhale says, there have been two dozen cases of supersession in the High Courts. I want to ask Mr. Gokhale whether he is going to justify one wrong with another. If there was a supersession, it was a wrong. But these supersessions which have so far taken place were not on ideological grounds, were not on grounds of social philosophy. It was on personal grounds. It was the mistake of some Congressmen sitting in the States. Again it is the mistake of Congressmen sitting at the Centre. You cannot justify one wrong with another wrong.

They say that seniority is not accepted by the Law Commission. It is not true. After all, the Law Commission has said :

> "It may be that the seniormost puisne judge fulfills these requirements. If so, there could be no objection to his being appointed to fill this office."

This is what the Law Commission has said. It has not said that seniority should be completely left out. It is he the Government which has done it. It is not according to the report of the Law Commission.

Finally, I would like to tell the Government that the entire country is agitated over this issue, not because the three judges are superseded. It is because this is not a party question. There must be at least one institution in this country in which, in spite of our political differences, party differences, linguistic differences, communal and religious differences, we should have complete faith. Even if you go to the villages, you can see how the villagers talk among themselves: they say, 'I will go to the Supreme Court and get justice'. That is the faith which the Supreme Court is having in the minds of the people. I would like to quote what one of the members of the Constituent Assembly, Mr. Naziruddin Ahmed, has said :

> "If there is one thing which will thrill the hearts of the people and will make our independence a solid achievement, it is the confidence in the judiciary. The moment you let any person think that he will not have confidence in the judiciary, the stability of the Government will be undermined."

I do not want the Government to undermine the confidence of the people either in the judiciary or in the Government or, ultimately, in democracy. What the Government is doing is threatening democracy. By tampering with the temple of justice, they will slowly undermine democracy iteself. I want to ask the Government whether this is their intention.

Finally, I would like to say this. When we question the appointment of Chief Justice of India, we are dubbed as reactionaries, forces of *status quo*, vested interests and so on. I want to ask the Government: who are the vested interests? Who are the reactionaries? If I follow the tradition, I am called a reactionary. If I follow the tradition, I am called a *status quo*. It is normal in the southern part of India to marry one's sister's daughter. If I marry my sister's daughter, I am called reactionary and a force of *status quo*, but if some one marries his own sister, breaking the tradition, he is called a progressive.

This is what they mean. This is not progressivism, this is not radicalism. What we say and what we preach, we have to practise. If I preach something, I have to practise it also. That, the Congress is not doing. You are not inplementing land reforms. Many of the Congress Party Governments have not done it.

Finally, I would quote Mr. Nehru. This is for the benefit of the Congressmen. He talked of reactionaries in this country. What does he say :

"Let us come to the Communists—these brave revolutionaries whose revolution consists not in application of intelligence but in trying to find out what is happening 5,000 miles away, and trying to copy it, whether it fits in or not with the present state of India .... Unfortunately, our friends of the CPI have so shut their minds and have so spent all their time and energy in learning a few slogans of the past that they are quite unable to appreciate what is happening in India. In fact, these great revolutionaries of the CPI have become great reactionaries."

It is these forces that seem to be now running the Congress Party and I do not know what is going to happen to this Congress Party. I would like to appeal to the goodsense of genuine Congressmen to rise the revolt against the Congress Party and the Government and see that justice is done and confidence is brought back to the people in the Supreme Court of India.

---

13 53 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH) I have risen not in accordance with the peroration of the hon. Member there. I have risen only to make a submission. Since there are a number of speakers on our side as also on their side, I have discussed the matter with all the leaders here and it is the consensus that this debate should go on till 6 p.m. and the non-official resolutions which are under discussion be postponed. Of course, formal business like introduction and all that may be done at 6 p.m. The Law Minister accordingly will be called at 5·15 p.m.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : This may be a special circumstance but it should be made clear that this sort of elbowing out of private members' business should not be a precedent.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : And not without our permission.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : I have to introduce three Bills to-day. What will happen to them?

MR. CHAIRMAN : You may be permitted to introduce the Bills just before 6 p.m.

13.55 hrs.

DISCUSSION *RE* APPOINTMENT OF CHIEF JUSTICE OF INDIA — *Contd.*

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): It is indeed a real pleasure to rise immediately after, if I may say so, the pleasant speech of my friend Mr. Viswanathan. In the same spirit in which he has tried to convince us that we are on the wrong side, it is my endeavour to persuade my hon. friend that he is labouring under an illusion. It is quite amazing to me to see that so much of dust and din and fret and fume is being kicked up on a question which is quite a normal action on the part of the President of India, namely, the appointment of Chief Justice of India. Public discussion both here in the House and outside has brought out in bold relief two aspects, namely, an area where there is complete agreement and an area where there is complete disagreement.

Now, with regard to the competence of the President to make the appointment, with respect to the qualification of the new incumbent to occupy that place, with respect to the contention that the President has done no unconstitutional act, going by the letter of the Constitution of India,--on all these points, I don't think there is any rebuttal there is all-round agreement; but, in spite of that, objection is taken on a solitary ground. The ground is this, that there has been a convention that the seniormost judge must be promoted, that there is a violation of that convention, that the violation is *mala fide* and that *mala fide* violation affects the independence and dignity of the judiciary and consequently democracy is in jeopardy. This is the type of argument that is being projected from the other side.

May I begin with the last,—independence of the judiciary? I wonder what exectly my friends mean by the term independence of the judiciary. There are two connotations possible. One is that once the judge is appointed, once a bench is constituted, that judge must have an absolute liberty, liberty of conscience, liberty of judgement, liberty of expression, liberty of action as a judge and he shall be under no fear whatsoever. That is one concept of independent judiciary. Now, as far as we are concerned we are more zealous than anybody else that that position must continue. Once appointment is made there is an in-built